न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–**रूक्मणि रियार सिहाग** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–02/2023 अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

स्टेट जरिये बाबूलाल जानू प्रवर्तन अधिकारी, नोहर कार्यालय जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़।

––प्रार्थी

बनाम

हरपाल सिंह पुत्र श्री धर्मसिंह जाट श्री श्याम होटल, गोगामेड़ी तहसील नोहर

––अप्रार्थी

उपस्थितः– 1. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधिवक्ता।
2. अप्रार्थी स्वयं।

–:निर्णयः– दिनांकः–23.08.2023

स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी, नोहर कार्यालय जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 30.12.2022 को जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ हमराह प्रवर्तन अधिकारी, नोहर द्वारा गैस सिलेण्डरों की अवैध रिफिलिंग, व्यावसायिक दुरुपयोग व कालाबाजारी रोकथाम अभियान के दौरान गोगामेड़ी तहसील नोहर स्थित श्री श्याम होटल की जांच की गई। मौके पर होटल में हरपाल सिंह उपस्थित मिले जिन्होने स्वयं को होटल का मालिक होना बताया। मालिक ने बताया कि होटल में मिठाई एवं खाना बनाकर विक्रय करने का काम किया जाता है तथा विक्रय की गई सामग्री का मूल्य वसूल किया जाता है। होटल में तलाशी के दौरान इण्डेन कम्पनी के 2 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये जिनमें से एक सिलेण्डर भरा हुआ और दुसरा सिलेण्डर कार्यरत हालात में पाया गया। मौके पर होटल में घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक रूप में उपयोग करना तथा विक्रय की गई सामग्री का मूल्य वसूल किया जाना पाया गया। चूंकि घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग किसी भी उपभोक्ता द्वारा स्वयं के उपभोग के लिये स्वयं के घर में किया जाता है तथा उसके द्वारा घरेलू उपयोग के अलावा भिन्न किसी परियोजन के लिये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का उपयोग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार मौके पर Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order 2000 के क्लॉज 3(1)(C) का उल्लंघन पाये जाने पर उक्त 2 घरेलू गैस सिलेण्डरों को जब्त किया गया तथा जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर श्री सौरभ जैन पुत्र श्री बाबूलाल जैन उम्र 31 वर्ष हाल प्रबन्धक श्री रामदेव इण्डेन ग्रामीण वितरक गैस एजेन्सी, रामगढ़ की सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार श्री हरपाल सिंह पुत्र श्री धर्मसिंह जाट, श्री श्याम होटल, गोगामेड़ी तहसील नोहर द्वारा Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order 2000 के क्लॉज 3(1)(C) का उल्लंघन किया गया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए प्रस्तुत कर स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी, नोहर कार्यालय जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा निवेदन किया गया है कि उक्त जब्तशुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात करने के आदेश फरमायें।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया।

Web Copy - Not Official

अप्रार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम पेश किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया कि प्रार्थी गोगामेड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.) का रहने वाला है। प्रार्थी श्री श्याम धर्मशाला, नजदीक रेलवे फाटक, गोगामेडी का मालिक है। प्रार्थी उक्त धर्मशाला में ठहरने वाले यात्रियों के लिए चाय पानी की सेवा करता है। उक्त धर्मशाला से दिनांक 30.12.2022 को दो सिलैण्डर उठाये गये उक्त दोनों सिलैण्डर प्रार्थी स्वयं के है किसी और के या चोरी के नहीं है। उक्त दोनों सिलेण्डर प्रार्थी की गैस पासबुक उपभोक्ता क. 7103620899 में दर्ज है। प्रार्थी अपने दोनों सिलैण्डर प्राप्त करना चाहता है और प्रार्थी आगे से ऐसी गलती दुबारा नहीं करेगा। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर अप्रार्थी के जब्त सिलेण्डरों को वापस लौटाये जाकर जब्ती की कार्यवाही निरस्त करने का निवेदन किया है।

बहस सुनी गयी। राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है कि जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा होटल से घरेलू गैस सिलेण्डरों में एक भरा हुआ व एक कार्यरत हालत में के साथ पकड़ा गया है, जो कि घरेलू गैस सिलेण्डरों को व्यवसायिक रूप में अवैध उपयोग है। मौके पर 2 घरेलू सिलेण्डर का व्यवसायिक रूप में उपयोग करते पाये गये हैं जिससे सिद्ध होता है कि उक्त होटल पर ही घरेलू सिलेण्डरों का उपयोग हो रहा था। अप्रार्थी द्वारा जब्ती के दौरान कोई वैध दस्तावेज प्रवर्तन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अप्रार्थी द्वारा दोनों घरेलू सिलेण्डरों को होटल पर रखना व उपयोग में लेना राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा सिलेण्डरों को राजसात किया जावे।

अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी श्री श्याम धर्मशाला, नजदीक रेलवे फाटक, गोगामेड़ी का मालिक है। प्रार्थी उक्त धर्मशाला में ठहरने वाले यात्रियों के लिए चाय पानी की सेवा करता है। उक्त धर्मशाला से दिनांक 30.12.2022 को दो सिलैण्डर उठाये गये उक्त दोनों सिलैण्डर प्रार्थी स्वयं के है किसी और के या चोरी के नहीं है। उक्त दोनों सिलेण्डर प्रार्थी की गैस पासबुक उपभोक्ता क. 7103620899 में दर्ज है। अतः जब्तशुदा सिलेण्डरों को लौटाकर प्रार्थी (अप्रार्थी) के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रिकॉर्ड के अनुसार अप्रार्थी द्वारा उक्त सिलेण्डरों की जब्ती के दौरान कोई वैध दस्तावेज प्रवर्तन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इस प्रकार अप्रार्थी का निजी उपयोग हेतु सिलेण्डरों का उपयोग किये जाने का तर्क उचित प्रतीत नहीं होता है। यह पश्चातवर्ती (After thought) तर्क है। पत्रावली के संपूर्ण अवलोकन से अप्रार्थी का उक्त कृत्य 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी है।

अतः प्रार्थी स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी, नोहर कार्यालय जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाकर उक्त दोनों सिलेण्डरों को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते हनुमानगढ़

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़
हनुमानगढ़